कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001
Email- jdajodhpur@yahoo.com वेबसाईट jodhpur Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः– जो.वि.प्रा/अ.अ/दक्षिण/2021–22/ 792 दिनांकः– 18/1/22

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः– प्रस्तावित रोड कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड़ हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/16088, क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक F(593)FCA/उप वन संरक्षक / 2021–22 दिनांक 22.11.2021

महोदयजी,

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि उक्त प्रस्ताव जोधपुर शहर के दक्षिण में स्थित विभिन्न कॉलोनियां जैसे करणी नगर, राजीव नगर, लक्ष्मी विहार, महावीर नगर, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, विवेक विहार की आवासीय कोलोनियों एवं दक्षिण दिशा में स्थित लाखो नागरियों को जोधपुर शहर में आवागमन के लिए सुगम–सुरक्षित सडक मार्ग उपलब्ध कराने के मूलभूल उदेश्य की पूर्ति के लिए JDA के द्वारा वन भूमि के Diversion हेतु उक्त प्रस्ताव किया गया। आपके आक्षेपों का बिन्दुवार निम्नलिखित प्रतिउत्तर है–

1. आपके द्वारा EDS F(593)FCA/उप वन संरक्षक/2021–22 दिनांक 22.11.2021 में उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते है। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेढा–मेढा एवं संकड़ा है,कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौडा है तथा साथ ही कई स्थानों पर 90 डिग्री पर मुडने वाले खतरनाक अन्धे मोड़ है जिसके कारण यहा पर कई बार भीषण दुर्घटनाए होने से जनहानि भी हो चुकी है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए सदैव ही जनहानि – अनहोनी हो जाने का आदेशा बना रहता है तथा ट्राफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान यहां से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असम्भव हो जाता है।

   इन्ही तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद होने के बावजूद DCF के द्वारा इस प्रकरण में Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसके औचित्य एवं महती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव की अनुशंषा की गई।

   इस कम में यह भी निवेदन है कि शहर के नागरिको के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाना JDA की नैतिक जिम्मेवारी है, यहा के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त ही JDA प्रबंधन के द्वारा उक्त Diversion हेतु प्रार्थना पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

   इस क्रम में जनहित में अति महत्वपूर्ण में प्रकरण विगत 6–7 वर्षो की लम्बी अवधि तक आपके विभाग के द्वारा बार–बार की गई समस्त आपत्तियों का निराकरण करने के लिए अत्यधिक राजकीय श्रम, समय एवं सामग्री का व्यय करने के उपरान्त मौके के अधिकारी अर्थात उपवन सरंक्षक के बजाय मुख्यालय के स्तर से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए Diversion के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना आमजन की मूलभूल सुविधा प्रदान करने के बजाय JDA के नेक प्रयासों पर कुठाराघात है तथा कतई उचित नही है।

   इस Diversion के औचित्य एवं महती आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का श्रम करावे अन्यथा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।

2. After inspection fo worklift out once is very less to be managed & is liable to be inconvinence

   वन भूमि के Diversion के बाद सड़क का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका प्रबन्धन न हो पाने व इस पर अतिक्रमण होने की आंशका व्यक्त की गई है जो पूर्णतया निर्मूल है।

   निवेदन है कि जिले की वन भूमियों के प्रबन्धन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उपवन संरक्षक का होता है तथा उपवन संरक्षक जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यों पर गौर करते हुए ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई तथा उपवन सरंक्षक की निरीक्षण

रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की सम्भावनाऐ प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नही की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान में भी पक्की चारदीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित की जाने वाली सड़क के दोनो तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए JDA द्वारा वन विभाग के तकमीनाके अनुसार राशी जमा करने के लिए Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई समस्या नही है तथा इस पर अतिक्रमण की सम्भावनाऐ बढ़ जाने की भी कोई आंशका नही है।

अतः प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान करने का कष्ट करे।

3. मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षेत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सड़क का निर्माण होने की स्थिति में शहर के हृदय स्थल में स्थित इस वन क्षेत्र में मौजूद हरितावरण के नष्ट हो जाने की आपत्ति अंकित की गई है। इस क्रम में निवेदन है कि उक्त वन क्षेत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे पर स्थित है। इसके अति निकट स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर के विशाल भू–भाग तथा इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू–भाग में हरा–भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकबा अत्यन्त अल्प है (मात्र 0.3291 Hac.) ही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास विस्तृत भू–भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है।

निवेदन है कि JDA जोधपुर अपने नागरिको को बेहतरीन मूल–भूत सुविधाऐं (यथा सड़क,बिजली,पानी आदि) प्रदान करने के साथ–साथ शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपयुक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारो पेड़–पौधे लगाये जाते है।

इस Diversion प्रकरण मे यथा संभव न्यूनतम पेड़ हटाये जायेंगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तो में वर्णित संख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संभाल कर इनको पेड़ो के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः यह भी निवेदन है कि उक्त Diversion किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए नही, बल्कि JDA द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सड़क मार्ग उपलब्ध कराये जाने के नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। अतः आमजन को राहत प्रदान कराने के लिए इस जनउपयोगी प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत करने का कष्ट करे।

18/1/22

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः– जो.वि.प्रा/अ.अ/दक्षिण/2021–22/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपी वास्ते सुचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन सरंक्षक महोदय, जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निमित्तः– सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

विषयः प्रस्तावित रोड़ कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेप दिनांक 19.11.2021 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर लगाए गए आक्षेप दिनांक 16.11.2021 (ऑन लाइन छायांप्रति संलग्न), आक्षेप निम्न लिखित है :–

Ser No	Type of E.D.S.	विशेष विवरण
1.	The proposal should not be recommended because an alternate road is available to connect PAL Road, so this road is not required.	
2.	After construction of this road, the left out area is very less so cannot be managed and liable to encroachment.	
3.	It is seen from google image of the area that this is very good green cover in the heart of the city, which will be destroyed after construction of the road.	

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/
दिनांकः

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Area - 0.329 ha.

EDS Form

▽ **Help**

EDS has been completed, EDS is pending, Click on this image button for EDS reply.

Essential Details Sought by Forest Department * :

Send To* : Select

Upload a copy of Essential Details Sought letter(if any):(Only PDF) Choose File No file chosen

ADD

Reply	**Essential Details Sought by Forest Department**	**Sought on/Replied on(Date)**	**Uploaded copy of Essential Details Sought letter**	**Query from/ Reply to**
	The following shortcomings are found in the proposal- 1. The proposal should not be recommended because an alternate road is available to connect PAL road, so this road is not required. 2. After construction of this road , the left out area is very less so cannot be managed and liable to encroachment. 3.It is seen from google image of the area that this is very good green cover in the heart of the city, which will be destroyed after construction of the road.	16/11/2021	(../writereaddata/eds_UA/)	CF
	Forwarded for your further necessary action please	30/10/2021	2014_27_30_Oct_2021_161326140_edsletter_FwdletterKBHB.pdf (../writereaddata/eds_UA/2014_27_30_Oct_2021_161326140_edsletter_FwdletterKBHB.pdf)	DFO
	The correction have been made as per the instruction received	21/10/2021	(../writereaddata/eds_UA/)	User Agency
	Rectify the EDS and Re submit the same for Necessary Action Please.	28/09/2021	91128122712151KBHBEDSLetter.pdf (../writereaddata/eds_UA/91128122712151KBHBEDSLetter.pdf)	DFO
	The correction have been made as per the instruction received	25/09/2021	(../writereaddata/eds_UA/)	User Agency

Online Help/Query

FCA 18/11/2021